दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.02.2015 का कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 04.00 बजे
स्थान : कमेटी हाल
उपस्थिति :

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ला	सदस्य
3.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	सदस्य
4.	प्रो0 ए0के0 सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	सदस्य
6.	डॉ0(श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	डॉ0 रुसी राम महानन्दा	सदस्य
8.	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	सदस्य
9.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 के0के0 यादव	सदस्य
11.	डॉ0 हरेश प्रताप सिंह	सदस्य
12.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
13.	डॉ0 सतीश कुमार	सदस्य
14.	प्राचार्य, सेंण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर	विशेष आमंत्रित
15.	कुलसचिव	सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री जनार्दन प्रसाद राय भी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो0 सुरेन्द्र दूबे, अधिष्ठाता– कला संकाय, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 जर्नादन, आचार्य– हिन्दी विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, एवं डॉ0 रमेश बाबू सोलंकी, प्राचार्य, किसान पी0जी0 कालेज, सेवरही, तमकूही रोड, कुशीनगर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, अधिष्ठता– विधि संकाय, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा प्रो0 डी0एन0 यादव, आचार्य– दर्शनशास्त्र विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार किया गया –

1.(क) कार्य परिषद् ने श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्र सं0 : पी0एस0 05/पी0जी0एस0 दिनांक 15 जनवरी, 2015 के आलोक में दिनांक : 30.01.2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के बी0एस0–सी0 कम्प्यूटर साइंस प्रथम वर्ष सत्र 2013–14 एवं सत्र 2014–15 में प्रवेशित छात्रों के सम्बन्ध में विचार किया।

कार्य परिषद् के सदस्यों को कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 08.01.2015 एवं 30.01.2015 के निर्णयों एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 (2) एवं 37 (10) के प्रावधानों से अवगत कराया गया–

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) :

कार्य परिषद् राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, किसी भी महाविद्यालय को, जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है, जिन्हें विहित किया जाये, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से समबद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (8) के प्रावधानों के अध्यधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी : (परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की राय में, महाविद्यालय सारवान् रूप से सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करता है, तो राज्य सरकार उस मतहाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दे सकेगी अथवा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में एक अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी, जिन्हें वह उपयुक्त समझे) : (परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिए उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है)।	The Executive Council may, with the previous sanction of the State Government, admit any college which fulfils such conditions of affiliation, as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or subject ot the provisions of sub-section(8), weithdraw or curtail any such privilege: [Provided that if in the opinion of the State Government, a college substantially fulfils the conditions of affiliation, the State Government, may sanction grant of affiliation to the college or enlarge the privileges thereof in specific subjects for one term of a course of study on such terms and conditions as he may deem fit : [Provided further that unless all the prescribed conditions of affiliation are fulfilled by a college, it shall not admit any student in the first year of the course of study for which affiliation is granted under the foregoing proviso after one year from the date of commencement of such affiliation.]
उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (10) :	
इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए महाविद्यालय, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा पहले से सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, अध्ययन के उस पाठ्यक्रम को जारी करने का हकदार होगा, जिसके लिए पहले ही प्रवेश लिए जा चुके हैं, लेकिन वह उपधारा (2) के अधीन सम्बद्धता को प्राप्त किये बिना अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा।	Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of the Act, a college, which has already been given affiliation to a University before the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (amendment) Act, 2003 in specific subjects for a specified period shall be entitled to continue the course of study for which admissions have already taken place **but it shall not admit any student in the first year of such course of study without obtaining affiliation under sub-section(2).**

सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के प्राचार्य को कार्य परिषद् की बैठक में उनका पक्ष जानने के लिए आमंत्रित किया गया था। परिषद् के समक्ष उन्होंने अपना विस्तृत पक्ष रखा तथा परिषद् के सम्मानित सदस्यों ने उनसे इस प्रकरण के विभिन्न पक्षों पर पृच्छायें भी कीं, परन्तु प्राचार्य विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय में बिना सम्बद्धता प्राप्त किये सत्र 2013–14 में लिये गये प्रवेश पर तथा इसी विषय में सत्र 2014–15 में, विश्वविद्यालय द्वारा बिना सम्बद्धता प्राप्ति के प्रवेश न लिये जाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद, लिये गये प्रवेश के औचित्य पर विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण उत्तर नहीं दे सके।

सदन ने कुलाधिपति महोदय के पत्र सं0 पी0एस0 05/पी0जी0एस0 दिनांक 15 जनवरी, 2015 का सम्मान करते हुए छात्रों के हित में "निदानात्मक कार्यवाही" के उनके निर्देश के सन्दर्भ में सकारात्मक विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि–

1. सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय में सत्र 2013–14, प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के परीक्षाफल घोषित करने एवं इन छात्रों को कम्प्यूटर साइंस द्वितीय वर्ष (सत्र 2014–15) हेतु **विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय में समायोजित करने के लिए माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।**

2. सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय में सत्र 2014–15 में सम्बद्धता न होने के कारण इस विषय में बी0एस–सी0 में प्रवेशित छात्रों को कम्प्यूटर साइंस विषय परिवर्तन की अनुमति दी जाती है।

3. कार्य परिषद् के सभी सदस्यों ने सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया कि विश्वविद्यालय को एवं सदन को प्राचार्य द्वारा भ्रामक सूचना देने एवं जानबूझकर तथ्यों को छिपाकर सत्र 2013–14 में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों के बावजूद सत्र 2014–15 में इसी विषय में प्रथम वर्ष में बिना सम्बद्धता के पुनः प्रवेश लेने हेतु दोषी पाया। अतः परिषद् द्वारा सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के उपर रू0 बीस लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया।

(ख) अध्यक्ष की अनुमति से कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 24.07.2014 के बिन्दु संख्या 76 (2) में लिये गये निर्णयानुसार प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग के निदेशक, सहायक निदेशक एवं परियोजना अधिकारियों को क्रमशः प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के सदृश्य अधिवर्षिता आयु प्रदान किये जाने सम्बन्धी विषय पर परिनियम बनाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

for कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष